रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 453] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 5, 1975/कार्तिक 14, 1897

No. 453] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 5, 1975/KARTIKA 14, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL SECRETARIAT

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th November 1975

S.O. 640(E).—In exercise of the powers conferred by Section 114 of the Gold (Control) Act, 1968 (45 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Gold Control (Publication of Names) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Gold (Control) Act, 1968 (45 of 1968);

(b) "Collector" means a Collector of Central Excise, or a Collector of Customs, appointed as a Gold Control Officer under sub-section (2) of Section 4;

(c) "Gold Control Officer" means a Gold Control Officer appointed under Section 4;

(d) "section" means a section of the Act.

3. **Publication of names and other particulars of persons.**—(1) Subject to the provisions of these rules, the Collector shall, once in every three months, cause to be published in the Official Gazette the names and addresses and other particulars specified in sub-rule (2), of the following categories of persons, namely :—

(a) persons who have been convicted by a court for contravention of any of the provisions of the Act or the rules made thereunder;

(b) persons who have been adjudged by a Gold Control Officer to have contravened any of the provisions of the Act or the rules made thereunder, where (i) the persons had, on a previous occasion, been similarly adjudged by the Gold Control Officer or convicted by a Court, or (ii) the penalty imposed by the Gold Control Officer is Rs. 10,000 or above.

(2) The other particulars referred to in sub-rule (1) are—

(a) the provisions of the Act or the rules made thereunder contravened;

(b) the particulars regarding the penalty imposed; and

(c) where the officer adjudging has directed confiscation under Section 71 or Section 72, the particulars regarding such confiscation.

Explanation.—In the case of a firm, company or other association of persons, the names of partners of the firm, directors, managing agents, secretaries and treasurers, or manager of the company or the members of the association, as the case may be, may also be published if, in the opinion of the Collector, the circumstances of the case justify such publication.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Central Government may, if it is satisfied that it is necessary or expedient in the public interest so to do, direct the Collector to publish the names, addresses and other particulars, specified in sub-rule (2), of any other person who has been held guilty of any contravention of the provisions of the Act or of any rule made thereunder.

(4) Notwithstanding anything contained in this rule, the Central Government may, if it is satisfied that it is necessary or expedient in the interest of investigations under the Act, security of the State, friendly relations with foreign States or otherwise in the interest of general public, so to do, direct the Collector that names of any persons may not be published.

4. **Publication under rule 3 to be made after the specified period.**—No publication under rule 3 shall be made in respect of a person, until the period for preferring an appeal under Section 80 has expired without an appeal having been preferred or such an appeal having been preferred has been disposed of.

[No. 14/75/F. 131/31/75-GC.II]

M. G. ABROL, Addl. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 1975

का० आ० 640(अ).—केन्द्रीय सरकार स्वर्ण (नियन्त्रण) अधिनियम, 1968 (1968 का 45) की धारा 144 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वर्ण नियन्त्रण (नाम प्रकाशन) नियम, 1975 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से स्वर्ण (नियन्त्रण) अधिनियम, 1968 (1968 का 45) अभिप्रेत है ;

(ख) "कलेक्टर" से केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलेक्टर या सीमाशुल्क कलेक्टर अभिप्रेत है, जिसे धारा 4 की उप-धारा (2) के अधीन स्वर्ण नियन्त्रण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया हो ;

(ग) "स्वर्ण नियन्त्रण अधिकारी" से धारा 4 के अधीन नियुक्त स्वर्ण नियन्त्रण अधिकारी अभिप्रेत है ;

(घ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ।

3. **व्यक्तियों के नामों और अन्य विशिष्टियों का प्रकाशन.**—(1) इन नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कलेक्टर प्रत्येक तिमाही में एक बार निम्नलिखित प्रवर्गों के व्यक्तियों के उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट नामों, पतों और अन्य विशिष्टियों को राजपत्र में प्रकाशित करवाएगा, अर्थात् :—

(क) ऐसे व्यक्ति जिन्हें अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन के लिए न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया है ;

(ख) ऐसे व्यक्ति जिनकी बाबत स्वर्ण नियन्त्रण अधिकारी ने यह न्यायनिर्णीत किया है कि उन्होंने अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबन्ध का उस दशा में उल्लंघन किया है जबकि (I) उन व्यक्तियों की बाबत स्वर्ण नियन्त्रण अधिकारी द्वारा पहले भी वैसे ही न्यायनिर्णीत किया गया था या उन्हें न्यायालय में सिद्धदोष ठहराया गया था, या (II) जबकि स्वर्ण नियन्त्रण अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति दस हजार रुपए या उससे अधिक है ।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अन्य विशिष्टियां निम्नलिखित हैं :—

(क) अधिनियम या तदधीन बने नियमों के उपबन्ध ; जिनका उल्लंघन किया गया है ;

(ख) अधिरोपित शास्ति की बाबत विशिष्टियां ; और

(ग) जहां न्यायनिर्णयन करने वाले अधिकारी ने धारा 71 या धारा 72 के अधीन अधिहरण का आदेश दिया हो वहां ऐसे अधिहरण की बाबत विशिष्टियां ।

स्पष्टीकरण.—फर्म, कम्पनी या अन्य व्यक्ति संगम की दशा में, यथास्थिति, फर्म, के भागीदारों, कम्पनी के निदेशकों, प्रबन्ध अभिकर्ताओं, सचिवों और कोषपालों या उसके प्रबन्धक या संगम के सदस्यों के नाम भी उस दशा में प्रकाशित किए जाएंगे जबकि कलेक्टर की राय में मामले की परिस्थितियां ऐसा प्रकाशन करना उचित ठहराती हैं ।

(3) उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, यदि उसका यह समाधान हो जाए कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक या समीचीन है, कलेक्टर को उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट ऐसे किसी अन्य व्यक्ति का जिसे अधिनियम या तदधीन बनाए किसी नियम के उपबन्धों के लिए दोषी ठहराया गया हो, नाम, पता और अन्य विशिष्टियां प्रकाशित करने के लिए निदेश दे सकेगी ।

(4) इस नियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, यदि उसका यह समाधान हो जाए कि अधिनियम के अधीन अन्वेषण, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के हित में या साधारण जनता के हित में अन्यथा ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, कलेक्टर को निदेश दे सकेगी कि किन्हीं व्यक्तियों के नाम प्रकाशित न किए जाएं ।

4. **नियम 3 के अधीन प्रकाशन विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् किया जाएगा.**—किसी व्यक्ति की बाबत नियम 3 के अधीन तब तक प्रकाशन नहीं किया जाएगा, जब तक धारा 80 के अधीन अपील की अवधि अपील किए बिना समाप्त नहीं हो जाती है या अपील करने पर उसका निपटारा नहीं हो जाता ।

[सं० 14/75/एफ० 131/31/75-जी० सी० II]

एम० जी० अग्रोल, अपर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975